

**बिहार सरकार**  
**पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग**

पत्रांक-6 एस०एस०(6)28/2022.....668.. /

मत्स्य/पटना/दिनांक...28/12/257

**आदेश**

विभागीय राज्यादेश संख्या 6 एस०एस०(6)28/2022-4034, दिनांक-30.11.2022 द्वारा बिहार राज्य के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (केन्द्र सरकार द्वारा 2022-23 में प्रशासनिक स्वीकृत) हेतु केन्द्र सरकार के केन्द्रांश ₹8.09592 करोड़ (आठ करोड़ नौ लाख उनसठ हजार दो सौ मात्र) राशि तथा राज्यांश ₹5.39728 करोड़ (पाँच करोड़ उनतालीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ मात्र) राशि अर्थात् कुल ₹13.4932 करोड़ (तेरह करोड़ उनचास लाख बत्तीस हजार मात्र) राशि की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। कतिपय कारणवश केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश राशि विमुक्त नहीं किये जाने के फलस्वरूप व्यय की स्वीकृति नहीं हो सकी। तत्पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा पत्र संख्या F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011) दिनांक 27.09.2023 के माध्यम से उक्त प्रशासनिक स्वीकृत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत प्रथम किस्त के रूप में ₹2.0240 करोड़ (दो करोड़ दो लाख चालिस हजार मात्र) विमुक्त केन्द्रांश राशि तथा इसके समानुपातिक ₹1.3494 करोड़ (एक करोड़ चौतीस लाख चौरानबे हजार मात्र) राज्यांश राशि अर्थात् कुल ₹3.3734 करोड़ (तीन करोड़ सैंतीस लाख चौतीस हजार मात्र) व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई तथा योजना कार्यान्वित की गई।

इसी क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा पत्र संख्या F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011) दिनांक 13.12.2024 तथा F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011) दिनांक 17.01.2025 के माध्यम से उक्त प्रशासनिक स्वीकृत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत की द्वितीय किस्त की ₹1.60 करोड़ (एक करोड़ साठ लाख मात्र) केन्द्रांश राशि मदर सैंक्शन (Mother Sanction) के रूप में विमुक्त की गई है।

उपर्युक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त ₹1.60 करोड़ (एक करोड़ साठ लाख मात्र) केन्द्रांश राशि तथा इसके समानुपातिक ₹1.0667 करोड़ (एक करोड़ छः लाख सड़सठ हजार मात्र) राज्यांश राशि अर्थात् कुल ₹2.6667 करोड़ (दो करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र) व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस व्यय हेतु स्वीकृत राशि की निकासी निम्नलिखित बजट शीर्ष के तहत विकलन किया जायेगा :-

- (i) इस केन्द्र प्रायोजित योजना के लाभुक आधारित घटक के तहत अन्य श्रेणी एवं सभी श्रेणी के महिलाओं के लाभुकों के लिए स्वीकृत केन्द्रांश राशि का व्यय- मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष-0219-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड-02.2405001010219 का विषय शीर्ष-0219.33.01-सब्सिडी मद में उपबंधित राशि तथा स्वीकृत राज्यांश राशि की व्यय-मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष-0319-नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड-02.2405001010319 के विषय शीर्ष-0319.33.01-सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।
- (ii) इस केन्द्र प्रायोजित योजना के लाभुक आधारित घटक के तहत अनुसूचित जातियों के लाभुकों के लिए स्वीकृत केन्द्रांश राशि की व्यय- मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789 -अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना,

- उपशीर्ष-0201-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड-02.2405007890201 के विषय शीर्ष- 0201.33.01-सब्सिडी मद में उपबंधित राशि तथा स्वीकृत **राज्यांश राशि की व्यय**- मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789 -अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0301-नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड-02.2405007890301 के विषय शीर्ष- 0301.33.01-सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।
- (iii) इस केन्द्र प्रायोजित योजना के लाभुक आधारित घटक के तहत **अनुसूचित जनजाति के लाभुकों** के लिए स्वीकृत **केन्द्रांश राशि का व्यय**-मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-796 -जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0201-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड-02.2405007960201 के विषय शीर्ष-0201.33.01-सब्सिडी मद में उपबंधित राशि तथा स्वीकृत **राज्यांश राशि की व्यय**-मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-796 -जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष-0301-नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड-02.2405007960301 के विषय शीर्ष-0301.33.01-सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।
- (iv) योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार ही अनुदान की राशि देय होगा। विभिन्न अवयवों की इकाई लागत तथा देय अनुदान की राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित है जिसके अनुसार ही अनुदान का भुगतान किया जाएगा। यदि किसी अवयव की लागत योजनान्तर्गत निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय होती है तो अतिरिक्त व्यय राशि का वहन लाभुक द्वारा स्वयं स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से किया जाएगा।
- (v) इस योजनान्तर्गत के सफल कार्यान्वयन हेतु मत्स्य निदेशालय के पत्रांक म0यो0-17/2020-107, दिनांक 27 जनवरी, 2021, म0यो0-17/2020 (खंड-1)-1337, दिनांक 8 जुलाई, 2022, म0यो0-17/2020 (खंड-1)-527, दिनांक 30 मार्च, 2024 तथा म0यो0-17/2020 (खंड-1)-267, दिनांक 15 जनवरी, 2025 द्वारा निर्गत तथा भविष्य में निर्गत होने वाले क्रियान्वयन अनुदेश की अनुमान्यता होगी।
- (vi) Department of Expenditure, PFMS Division, Ministry of Finance, Govt. Of India द्वारा "Just-in-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through e-kuber of Reserve Bank of India (RBI) से सम्बन्धित निर्गत कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) F.No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक 13 जुलाई, 2023 तथा भविष्य में केन्द्र एवं राज्य सरकार (वित्त विभाग, बिहार, पटना) द्वारा निर्गत करने वाले दिशा-निर्देश से इस योजनान्तर्गत प्रशासनिक एवं व्यय हेतु स्वीकृत राशि की निकासी/व्यय किये जाने वाले राशि अच्छादित होगी।
- (vii) इस केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत धनराशि का प्रबंधन और व्यय प्रगतिशील तरीके से समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण (Real Time System of Integrated Quick Transfers) ढाचे के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें पी0एफ0एम0एस0-एस0एन0ए0 स्पर्श (Public Financial Management System-SNA SPARSH), राज्य आई0एफ0एम0आई0एस0

- (State Integrated Financial Management Information System) और भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म (e-kuber platform) शामिल होंगे।
- (viii) Department of Expenditure, Govt. Of India के दिशानिर्देश के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत स्वीकृत केन्द्रांश की राशि मदर सैंक्शन (Mother Sanction) के रूप में SNA SPARSH Platform of PFMS प्रणाली में विमुक्त किया गया है। राज्य सरकार द्वारा व्यय हेतु स्वीकृत केन्द्रांश राशि तथा इसके अनुपातिक राज्यांश राशि को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा SNA SPARSH प्रणाली से सम्बन्धित निर्गत दिशानिर्देश/अनुदेश के आलोक में योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय किया जायेगा।
- (ix) केन्द्र सरकार के F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011) दिनांक 17.01.2025 के अनुसार Permission to incur expenditure from out of funds irrespective of funds earmarked for 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 & 2024-25 for the implementation of PMMSY, also applies for the Mother sanction fund under this scheme.
- (x) इस योजना के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होती है तो, विभागीय अधिसूचना संख्या म0योजना-08/2021-313 दिनांक 02 मार्च, 2022 के तहत प्रदत्त शक्ति के आलोक में निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा कठिनाईयों के निराकरण हेतु समुचित निर्णय लिया जाएगा अथवा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अथवा राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (State Level Approval and Monitoring Committee) के अनुमति से निदेशक मत्स्य, बिहार आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत कर सकेंगे।
- (xi) केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त केन्द्रांश राशि तथा इसके समानुपातिक राज्यांश राशि के अनुरूप प्राप्त उपबंधित राशि से अथवा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बजट उपबंध प्राप्त कर, उक्त राशि की व्यय की स्वीकृति/आदेश सक्षम अधिकार से प्राप्त कर योजना का कार्यान्वयन चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 तथा आगामी वर्षों में किया जाएगा। परन्तु व्यय हेतु स्वीकृति कुल राशि प्रशासनिक स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा।
- (xii) इस योजना के तहत बजट शीर्षवार, विषयशीर्षवार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार, व्यय हेतु स्वीकृत राशि आदि की विस्तृत विवरणी **अनुलग्नक-1** के रूप में संलग्न है।
- (xiii) इस योजनान्तर्गत सभी कार्यान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र मत्स्य निदेशालय को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (xiv) इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्रण पदाधिकारी तथा पूर्ण रूपेण जवाबदेह होंगे। साथ ही, व्यय की गई राशि का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (xv) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) होंगे।
- (xvi) योजनान्तर्गत पूर्व में जिलों को संसूचित अवयवार, श्रेणीवार, जिलावार लक्ष्य की अनुमान्यता होगी तथा योजना का क्रियान्वयन 2024-25 तथा आगामी वर्षों में भी किया जाएगा।

- (xvii) प्रस्ताव एवं आदेश प्रारूप में अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०-6 एस०एस०(6)28/2022 के पृष्ठ-27/टि० एवं दिनांक-04.02.2025.
- (xviii) आदेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पटना की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०-6 एस०एस०(6)28/2022 के पृष्ठ-26/टि०, डायरी सं०-38 एवं दिनांक-30.01.2025.
- (xix) स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(गीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)28/2022.....608...../ मत्स्य/पटना/दिनांक.....10...../02...../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)28/2022.....608...../ मत्स्य/पटना/दिनांक.....10...../02...../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित महालेखाकार (ले० एवं हक०) वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)28/2022.....608...../ मत्स्य/पटना/दिनांक.....10...../02...../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)28/2022.....608...../ मत्स्य/पटना/दिनांक.....10...../02...../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/सभी उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)28/2022.....608...../ मत्स्य/पटना/दिनांक.....10...../02...../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा एवं योजना शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)28/2022.....608...../ मत्स्य/पटना/दिनांक.....10...../...02...../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित उप आयुक्त/संयुक्त सचिव, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, मत्स्यपालन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)28/2022.....608...../ मत्स्य/पटना/दिनांक.....10...../...02...../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)28/2022.....608...../ मत्स्य/पटना/दिनांक.....10...../...02...../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)28/2022.....608...../ मत्स्य/पटना/दिनांक.....10...../...02...../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

## (अनुलग्नक-1)

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (केन्द्र सरकार द्वारा 2022-23 में प्रशासनिक स्वीकृत) के अन्तर्गत मात्स्यिकी विकास एवं आधारभूत संरचना के विकास हेतु के तृतीय किस्त PFMS linked SNA SPARSH प्रणाली के माध्यम से संचालित धनराशि के लिए वृहद, लघु एवं उपशीर्ष बजट विवरणी कोषागार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूची तथा निकासी/व्यय हेतु स्वीकृत राशि की विवरणी।

(राशि लाख में)

| क्र०                                                    | वृहद, मुख्य, लघु, उपशीर्ष एवं विपत्र कोड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | विषय शीर्ष         | स्वीकृत व्यय राशि<br>(लाख में) | निकासी एवं<br>व्ययन पदाधिकारी                                                              | कोषागार<br>का नाम |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                  | 4                              | 5                                                                                          | 6                 |
| (क)                                                     | मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष-0219-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड-02.2405001010219 (केन्द्रांश) (अन्य श्रेणी एवं सभी श्रेणी के महिलाओं के लाभों हेतु अनुमान अनुदान क्रमशः 40 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत का 60 प्रतिशत केन्द्रांश राशि) | 0219-33.01 - सखिडी | 105.88200                      | निदेशक मत्स्य, विहार, पटना / सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) | कोषागार, सभी।     |
|                                                         | मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष-0319-नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड-02.2405001010319 (राज्यांश) (अन्य श्रेणी एवं सभी श्रेणी के महिलाओं के लाभों हेतु अनुमान अनुदान क्रमशः 40 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत राज्यांश राशि)    | 0319-33.01 - सखिडी | 70.58800                       |                                                                                            |                   |
| योग (क)- (एक करोड़ छिहतर लाख सैंतालीस हजार रुपये मात्र) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 176.47000                      |                                                                                            |                   |
| (ख)                                                     | मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789 -अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0201-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड-02.2405007890201 (केन्द्रांश) (अनुसूचित जातियों के लाभों हेतु अनुमान अनुदान 60 प्रतिशत का 60 प्रतिशत केन्द्रांश राशि)                         | 0201-33.01 - सखिडी | 40.00000                       |                                                                                            |                   |
|                                                         | मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789 -अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0301-नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड-02.2405007890301 (राज्यांश) (अनुसूचित जातियों के लाभों हेतु अनुमान अनुदान 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत राज्यांश राशि)                            | 0301-33.01 - सखिडी | 26.67000                       |                                                                                            |                   |
| योग (ख)- (छियासठ लाख सड़सठ हजार रुपये मात्र)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 66.67000                       |                                                                                            |                   |
| (ग)                                                     | मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-796 -जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0201-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड-02.2405007960201 (केन्द्रांश) (अनुसूचित जनजातियों के लाभों हेतु अनुमान अनुदान 60 प्रतिशत का 60 प्रतिशत केन्द्रांश राशि)                                      | 0201-33.01 - सखिडी | 14.11800                       |                                                                                            |                   |
|                                                         | मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-796 -जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष-0319- नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड-02.2405007960301 (राज्यांश) (अनुसूचित जनजातियों के लाभों हेतु अनुमान अनुदान 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत राज्यांश राशि)                                       | 0301-33.01 - सखिडी | 9.41200                        |                                                                                            |                   |
| योग (ग)- (तेईस लाख तिरपन हजार रुपये मात्र)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 23.53000                       |                                                                                            |                   |
| कुल योग (केन्द्रांश)- (क) + (ख) + (ग)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 160.00000                      |                                                                                            |                   |
| कुल योग (राज्यांश)- (क) + (ख) + (ग)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 106.67000                      |                                                                                            |                   |
| महायोग (केन्द्रांश + राज्यांश)- (क) + (ख) + (ग)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 266.67000                      |                                                                                            |                   |
| (दो करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                |                                                                                            |                   |

608  
19/02/25

सरकार के अपर सचिव

**अनुलग्नक- II**

**प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनागत (2022-23) प्रशासनिक स्वीकृत अवयवों का श्रेणीवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी।**  
(राशि- लाख में)

| क्र           | अवयव                                                                                                                           | श्रेणी          | भौतिक लक्ष्य<br>(संख्या/हे०) | इकाई<br>लागत | कुल लागत<br>राशि | वित्तीय लक्ष्य |          | लाभुक का<br>अंश | अभ्युक्ति |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|------------------|----------------|----------|-----------------|-----------|
|               |                                                                                                                                |                 |                              |              |                  | केन्द्रांश     | राज्यांश |                 |           |
| 1             | नया तालाब का<br>निर्माण (हे०)                                                                                                  | सामान्य         | 116                          | 7.00         | 812.00           | 194.88         | 129.92   | 487.20          |           |
|               |                                                                                                                                | महिला           | 50                           | 7.00         | 350.00           | 126.00         | 84.00    | 140.00          |           |
|               |                                                                                                                                | अनुसूचित जाति   | 32                           | 7.00         | 224.00           | 80.64          | 53.76    | 89.60           |           |
|               |                                                                                                                                | अनुसूचित जनजाति | 2                            | 7.00         | 14.00            | 5.04           | 3.36     | 5.60            |           |
|               |                                                                                                                                | कुल             | 200                          |              | 1400.00          | 406.56         | 271.04   | 722.40          |           |
| 2             | उन्नत इनपुट की<br>योजना (हे०)                                                                                                  | सामान्य         | 116                          | 4.00         | 464.00           | 111.36         | 74.24    | 278.40          |           |
|               |                                                                                                                                | महिला           | 50                           | 4.00         | 200.00           | 72.00          | 48.00    | 80.00           |           |
|               |                                                                                                                                | अनुसूचित जाति   | 32                           | 4.00         | 128.00           | 46.08          | 30.72    | 51.20           |           |
|               |                                                                                                                                | अनुसूचित जनजाति | 2                            | 4.00         | 8.00             | 2.88           | 1.92     | 3.20            |           |
|               |                                                                                                                                | कुल             | 200                          |              | 800.00           | 232.32         | 154.88   | 412.80          |           |
| 3             | आर्द्रभूमि में मत्स्य<br>अंगुलिकाओं का<br>संचयन (प्रति हे०<br>1000 अंगुलिकाएँ<br>3 रुपये प्रति<br>अंगुलिका के दर<br>से ) (हे०) | सामान्य         | 580                          | 0.03         | 17.40            | 4.18           | 2.78     | 10.44           |           |
|               |                                                                                                                                | महिला           | 250                          | 0.03         | 7.50             | 2.70           | 1.80     | 3.00            |           |
|               |                                                                                                                                | अनुसूचित जाति   | 160                          | 0.03         | 4.80             | 1.73           | 1.15     | 1.92            |           |
|               |                                                                                                                                | अनुसूचित जनजाति | 10                           | 0.03         | 0.30             | 0.11           | 0.07     | 0.12            |           |
|               |                                                                                                                                | कुल             | 1000                         |              | 30.00            | 8.71           | 5.81     | 15.48           |           |
| 4             | रिक्रिएशनल<br>फिशरीज का<br>प्रमोशन (सं०)                                                                                       | सामान्य         | 3                            | 50.00        | 150.00           | 36.00          | 24.00    | 90.00           |           |
|               |                                                                                                                                | महिला           | 1                            | 50.00        | 50.00            | 18.00          | 12.00    | 20.00           |           |
|               |                                                                                                                                | अनुसूचित जाति   | 1                            | 50.00        | 50.00            | 18.00          | 12.00    | 20.00           |           |
|               |                                                                                                                                | कुल             | 5                            |              | 250.00           | 72.00          | 48.00    | 130.00          |           |
| 5             | लघु फीड मील<br>(उत्पादन क्षमता<br>2 टन प्रतिदिन)<br>(सं०)                                                                      | सामान्य         | 5                            | 30.00        | 150.00           | 36.00          | 24.00    | 90.00           |           |
|               |                                                                                                                                | महिला           | 3                            | 30.00        | 90.00            | 32.40          | 21.60    | 36.00           |           |
|               |                                                                                                                                | अनुसूचित जाति   | 1                            | 30.00        | 30.00            | 10.80          | 7.20     | 12.00           |           |
|               |                                                                                                                                | अनुसूचित जनजाति | 1                            | 30.00        | 30.00            | 10.80          | 7.20     | 12.00           |           |
|               |                                                                                                                                | कुल             | 10                           |              | 300.00           | 90.00          | 60.00    | 150.00          |           |
| श्रेणीवार कुल |                                                                                                                                | सामान्य         |                              |              | 1593.400         | 382.416        | 254.944  | 956.040         |           |
|               |                                                                                                                                | महिला           |                              |              | 697.500          | 251.100        | 167.400  | 279.000         |           |
|               |                                                                                                                                | अनुसूचित जाति   |                              |              | 436.800          | 157.248        | 104.832  | 174.720         |           |
|               |                                                                                                                                | अनुसूचित जनजाति |                              |              | 52.300           | 18.828         | 12.552   | 20.920          |           |
| कुल योग       |                                                                                                                                |                 |                              |              | 2780.00          | 809.592        | 539.728  | 1430.68         |           |

608  
10/02/25

सरकार के अपर सचिव

*(Signature)*